

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018

जयपुर, दिनांक : 27.09.2018

आदेश


विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.09.2018 के द्वारा डा. शुभम अरोडा, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) का एसडीएच, कोटपूतली, जयपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाई, टोंक में पदस्थापन किया गया था, किन्तु निवाई में पद रिक्त नहीं होने के कारण डा. अरोडा का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालपुरा, टोंक में कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त) के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

५१७
(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव